

पत्रावली के माध्यम से प्रेषित पत्रों को वापस आदेशार्थ दिनांक 17/10/17 को प्रेषित हो

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फसल एवं पशु) जयपुर

17/10/17

पत्रावली प्रेषित। वृत्त व कुलाय पिढली पेशी परादुमी गई थी। पत्रावली का गुणावगुण पर मवलौ उन उसे के पश्चात 9 वृत्त के पश्चात उम्तजाथी पत्र अंतर्गत धारा 212 राज उद्देशकारी अधिनियम प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। भविष्य पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली हो।

पत्रावली शुमार फेसल हो उर न मवलर से उम हो उर त कमील कारखिल दफतर हो।



*(Signature)*

17/10/17

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फसल एवं पशु) जयपुर